न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 88/2012–13
श्रीमती अम्बिका बिष्ट –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या–89/2012–13
श्रीमती रूपा देवी –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
3. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 90/2012–13
श्रीमती सरिता नेगी –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
4. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 91/2012–13
श्रीमती निर्मला रावत –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
5. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 92/2012–13
श्री सुनील बिष्ट –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
6. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 93/2012–13
श्रीमती रश्मि असवाल –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
7. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 94/2012–13
श्रीमती रोशनी सिंह –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि
8. रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या– 95/2012–13
श्रीमती लक्ष्मी उनियाल –बनाम– श्री गिरधारी लाल आदि

अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

बावत

भूमि स्थित ग्राम बावत अठूरवाला, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून।

उपस्थिति– श्री सुनील कुमार मुद्दू, आई0एस0एस0, अध्यक्ष।
श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

निर्णय

उपर्युक्त सभी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र समान तथ्यों एवं न्यायिक प्राविधानों से आच्छादित होने के कारण उनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

उपर्युक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एकल पीठ के निगरानी संख्या– 74/2012–13 श्रीमती अम्बिका बिष्ट बनाम गिरधारी लाल आदि में पारित आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2013 के सापेक्ष इस आशय से प्रस्तुत किये गये हैं, कि इस मामले में महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अन्तर्निहित है, जिनके सम्बन्ध में एक विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित होना आवश्यक है जो कि समस्त राजस्व न्यायालयों के लिए एक दृष्टान्त बन सके।

संक्षेप में प्रश्नगत मामलों का संक्षिप्त इतिहास यह है कि तहसीलदार, ऋषिकेश, जिला देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत निहित मामलों से सम्बन्धित नामान्तरण प्रार्थना पत्र इस आशय से निरस्त किये गये कि विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित हैं जिसके विरूद्व विद्वान कलेक्टर, देहरादून के न्यायालय में अपील योजित की गई जिसे निगरानी मानकर तहसीलदार, ऋषिकेश के आदेश दिनांक 24–04–2012 की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त कर दी गई। एकल पीठ द्वारा विद्वान कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने के आधार पर द्वितीय निगरानी योजित किये जाने के विरूद्व वैधानिक वर्जना(Bar) के आधार पर निगरानी निरस्त कर दी गई जिसके विरूद्व पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संगत अभिलेखों का अवलोकन किया।

पीठ के समक्ष निम्न दो विधिक बिन्दु उभर कर आते हैं :–

1. क्या विद्वान कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई एवं उसे अनुचित रूप से निगरानी मानकर निस्तारित किया गया ? एवं

.....2/

2. क्या किसी न्यायालय में विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद/वादों के लम्बित रहने के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है ?

प्रथम बिन्दु के निस्तारण हेतु विद्वान कलेक्टर, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत कथित अपीलीय ज्ञाप का अवलोकन करने पर उसमें यत्र–तत्र निगरानी शब्द का प्रयोग होना विदित होता है एवं धाराओं का त्रुटिपूर्ण अंकन भी किया गया है, परन्तु अपीलीय ज्ञाप को सम्पूर्णता में देखने पर यह स्पष्ट होता है कि विद्वान कलेक्टर के समक्ष अपील ही योजित की गई थी, क्योंकि ज्ञाप के शीर्ष में 'अपील संख्या' स्पष्ट रूप से टंकित है। अपील के सार में धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है एवं अन्तिम प्रस्तर में अपील स्वीकार किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। अभिलेखों के अनुशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्वान कलेक्टर द्वारा बिना सम्बन्धित पक्षकार के प्रार्थना के अपील को निगरानी माना है। अतः विद्वान कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही को अपील की कार्यवाही एवं उनके द्वारा पारित आदेश को अपीलीय आदेश माना जाना विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 1933 में दी गई विधिक व्यवस्था इन प्रकरणों में सटीक प्रतीत होती है।

जहाँ तक दूसरे बिन्दु का प्रश्न है नामान्तरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है एवं इसका उद्देश्य अभिलेखों को अद्यावधिक रखना है। नामान्तरण की कार्यवाही को किसी अन्य न्यायालय में वाद लम्बित होने के आधार पर समानान्तर न्यायिक कार्यवाही की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। राजस्व अधिकारियों पर धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी उत्तराधिकार परिवर्तन अथवा अन्तरण का संज्ञान कराये जाने एवं उसकी पुष्टि होने पर वार्षिक रजिस्टर को संशोधित करने का कर्तव्य निर्धारित है। अतः जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही स्पष्टतः स्थगित न की गई हो तब तक नामान्तरण की कार्यवाही अस्वीकृत अथवा स्थगित कराये जाने का विधितः कोई आधार नहीं होता है। इस सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1978 इलाहाबाद 299 बहोरी बनाम विद्याराम में दी गई व्यवस्था वर्तमान प्रकरण में सटीक लागू होना प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकारणीय हैं।

आदेश

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकल पीठ द्वारा पारित निर्णयादेश 14–08–2013 वापस लेकर मूल निगरानियाँ स्वीकार की जाती है एवं विद्वान कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 05–07–2013 एवं तहसीलदार, ऋषिकेश का आदेश दिनांक 23–04–2012/24–04–2012 खण्डित कर नामान्तरण की कार्यवाहियाँ तहसीलदार, ऋषिकेश को इस आशय प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान कर विधिवत गुण–दोष के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही का निस्तारण करें।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 28–10–2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।